न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व विविधः: 21/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मंगलाराम पुत्र हरदेव माली 2. चम्पालाल पुत्र हरदेव माली 3. सोहनलाल पुत्र हरदेव माली निवासीगण दागला, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. प्रतापराम पुत्र लालू कौम भांबी निवासी हाजीवास, तहसील रायपुर जिला पाली 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– प्रार्थी संख्या 3 की ओर से एडवोकेट श्री श्याम सुन्दर पंचारिया

–:: नि र्ण य :–

(राजस्थान)

दिनांक :– 28/5/19

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत अप्रार्थी प्रतापराम पुत्र लालू कौम भांबी निवासी हाजीवास तहसील रायपुर को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 252/240 रकबा 0 बीघा किस्म बारानी द्वितीय जो दिनांक 09.05.1976 को उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा की गई को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित होने से बहस प्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता की सूनी गई।

वकील प्रार्थी संख्या 3 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी को भू आवंटन ग्राम दागला तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 252/240 रकबा 10 बीघा को जरिए आदेश दिनांक 162 दिहनांक 08.05.1976 को आवंटन सूची अनुसार 35 आवंटियों को किया गया तथा नामान्तकरकरण संख्या 69 दिनांक 09.05.1976 भरा जाकर गैर खातेदार दर्ज किया गया। अप्रार्थी ग्राम हाजीवास तहसील रायपुर का निवासी होने के कारण तथा आवंटित भूमि ग्राम दागला तहसील जैतारण में होने से न तो अप्रार्थी को उक्त आराजी का कब्जा दिया गया, न ही अप्रार्थी द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया। आवंटन के 11 वर्षो बाद जरिए नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 18.02.1987 के अप्रार्थी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज करने हेतु भरा गया। जिसे अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने तथा भू आवंटन शर्तो की पालना नहीं किए जाने के नोट भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाज द्वारा

जिला कलेक्टर, पाली

अंकन करने से तहसील जैतारण द्वारा खारिज कर दिया, जिसकी अपील आज तक नहीं की गई, न ही अन्य कार्यवाही की गई। जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थी ग्राम दागला पंचायत मोहराई तहसील जैतारण का मूल निवासी नहीं होकर ग्राम हाजीवास तहसील रायपुर का निवासी होने से भी आंवटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी प्रतापराम जो आवंटी है, उसके आवंटित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा आवंटन पूर्व से ही था। जिसे हटाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया, जिससे सर्वे टीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी खसरा नम्बर 252/240 पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा व काश्त पाया। जो रिपोर्ट से स्पष्ट है। आराजी में प्रार्थीगण द्वारा दो कुए खुदवाए जाने का अंकन सर्वे रिपोर्ट में है। जिसकी खुदाई प्रार्थीगण के पिता हरदेव द्वारा कराई गई है। जिससे जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा है। आवंटी प्रताप का नहीं होने से भी आवंटन खारिज किया जावें। उक्त खसरा की आराजी में प्रार्थीगण द्वारा मेडबंदी की गई है। मेहन्दी की फसल बोई हुई है अर्थात कब्जा प्रार्थीगण का होने से भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन निरस्त योग्य है। भू आवंटन के दस वर्षो पश्चात भी कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तरकरण 141 दिनांक 18.02.1987 खारिज कर नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन को खारिज करने हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जो आज भी प्रभावी है। जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गई। इसके उपरान्त भी अन्य आवंटियों के साथ अप्रार्थी को भी खातेदारी अधिकार दे दिए गए। इस प्रकार विधी सम्मत खातेदारी अधिकार देने से भी आवंटन खारिज योग्य है। आवंटित भूमि का खसरा नम्बर 252/240 आज भी तरमीम किया गया नहीं है। इससे भी आवंटी का कब्जा नहीं होना स्पष्ट होता है। अप्रार्थी मंगला को भी दस बीघा भूमि खसरा नम्बर 246 ग्राम दागला में आवंटन की गई थी। जहां प्रार्थीगण आज भी काबिज है। कब्जा भी सुपुर्द किया गया था। प्रार्थी द्वारा लाखों रूपये लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया तथा उसमें दो कुए खुदवाए, चारों तरफ मेडबंदी करवाई। चालीस वर्षो से जिस भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है। उसी को अप्रार्थी अपनी आवंटित भूमि बता रहा है। जो न्यायोचित नहीं है। भू आवंटन रेकर्ड पर आवंटन कमेटी के हस्ताक्षरों में अध्यक्ष के अलावा सरपंच के ही हस्ताक्षर होने से कोरम पुरा नहीं होना स्पष्ट है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी को किया गया आवंटन खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 व उसके अधिवक्ता अनुपस्थित होने पर आवाज लगाई गई फिर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आए।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 3 की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी प्रताप ग्राम हाजीवास तहसील रायपुर का निवासी है, न की ग्राम दागला पटवार हल्का मोहराई तहसील जैतारण का, अप्रार्थी ग्राम दागला का मूल निवासी नहीं होने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी प्रताप को भू आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकारी देने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 18.021987 को भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार जैतारण द्वारा खारिज कर दिया गया था एवं आवंटन खारिज हेतु नियम 14(4) के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे तथा नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश आज भी यथावत है, जिसकी आदिनांक तक कहीं भी अपील नहीं की गई। इस कारण भी आवंटन खारिज योग्य है। उक्त नामान्तरकरण पर दिए गए आदेश के बावजूद भी जरिये नामान्तरकरण 247 दिनांक 22.06.1998 को अन्य आवंटियों के साथ खातेदारी अधिकार दे दिए। जो विधी सम्मत नहीं होने से स्पष्टतया खारिज योग्य है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर वर्षवार कब्जा काश्त नहीं किया तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का आवंटन से पूर्व भी कब्जा था। इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थी मंगला का कब्जा काश्त होने से आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी तथा लम्बी अवधि तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत प्रताप द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध वाद दायर कराया, जिसकी अपील भी हुई, इससे यह सिद्ध होता है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं था। उक्त स्वकार्य तथ्य के आधार पर भी आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री प्रतापराम पुत्र लालू भांबी निवासी हाजीवास तहसील रायपुर जिला पाली के हक में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा ग्राम दागला पटवार हल्का मोहराई तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 252/240 किस्म बारानी द्वितीय में दिनांक 08.05.1976 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जैतारण को मूल आवंटन रेकर्ड के साथ एवं तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/5/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)